न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस **नम्बर 2022/430**

1. प्रभूदयाल पुत्र श्री रामचन्द्र
2. हरमेन्द्र पुत्र रामचन्द्र
3. दीपचन्द्र पुत्र स्व0 श्री ओमप्रकाश पुत्र रामचन्द्र नाबालिग जरिये संरक्षक ताउजी प्रभुदयाल पुत्र रामचन्द्र

समस्त जाति बलाई निवासी ग्राम बडोदिया तहसील विराटनगर जिला जयपुर ।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. प्रेम देवी पत्नी रामशरण
2. अर्जुन पुत्र रामशरण
3. कुलकर्ण पुत्र रामशरण
4. पवन पुत्र रामशरण समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम बडोदिया तहसील विराटनगर जिला जयपुर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर

–रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जिला जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08/12/2021 बसिलसिला मि. सं. 07/2021 उनवानी प्रेम देवी बनाम राजस्थान सरकार में पारित किया गया जिसके द्वारा प्रार्थीया / रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र अपीलान्ट्स की गैर मौजूदगी में स्वीकार कर पत्थरगढी के आदेश पारित किया गया।

उपस्थित–

1. श्री एच.एन. शर्मा, वकील अपीलान्ट
2. श्री जितेन्द्र कुमार पारीक, रेस्पोडेन्ट नं. 1 से 4 की ओर से।
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट नं. 5 की ओर से।

निर्णय

दिनांक –19.02.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी विराटनगर जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 08.12.2021 के खिलाफ प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम तथा प्रा.पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ दिनांक 20.07.2022 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 19/6/2019 को सीमाकंन पत्थरगढी एवं सीमा निश्चितकरण का प्रस्तुत किया। जिसमें अन्य के अलावा अपीलान्ट संख्या 1 व 2 तथा 3 के पिता ओमप्रकाश को भी पक्षकार बनाया गया। प्रार्थना पत्र में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने ग्राम बडोदिया, पटवार हल्का बडोदिया तहसील विराटनगर जिला जयपुर में स्थित आराजी हाल खसरा नम्बर 231 रकबा 0.98 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 232 रकबा 0.15 हैक्टेयर कुल रकबा 2 कुल रकबा 1.13 हैक्टेयर की पत्थरगढी के बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना स्वीकार कर तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये गये कि प्रार्थीया की वर्णित भूमि वाके ग्राम बडौदिया के खाता संख्या 90 के हाल खसरा नम्बर 231/0.98, 232/0.15 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.13 हैक्टेयर की पत्थरगढी कर, स्थायी सीमांकन चिन्ह स्थापित करावें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें के आदेश पारित किये गये हैं।
3. उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जिला जयपुर दिनांक 08.12.2021 के निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी प्रभूदयशल पुत्र री रामचनरद्र वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर

संभागीय आयुक्त
जयपुर

स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश 08.12.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 19/6/2019 को सीमाकंन पत्थरगढी एवं सीमा निश्चितकरण का प्रस्तुत किया। जिसमें अन्य के अलावा अपीलान्ट संख्या 1 व 2 तथा 3 के पिता ओमप्रकाश को भी पक्षकार बनाया गया। प्रार्थना पत्र में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने ग्राम बडोदिया, पटवार हल्का बडोदिया तहसील विराटनगर जिला जयपुर में स्थित आराजी हाल खसरा नम्बर 231 रकबा 0.98 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 232 रकबा 0.15 हैक्टेयर कुल रकबा 2 कुल रकबा 1.13 हैक्टेयर की पत्थरगढी के बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। यह कि प्रार्थीया/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश होने पर उसे दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी के आदेश प्रदान किये गये। दिनांक 10/7/2019 को अपीलान्ट संख्या 1 व 2 की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब एवं वकालतनामा पेश करने की अण्डरटेकिंग अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा दी गई एवं यह भी जाहिर किया कि अप्रार्थी संख्या 1 फौत हो चुका हैं। दिनांक 18/11/2020 को प्रार्थीया द्वारा कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिसका जवाब अपीलान्ट संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने देकर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 की मृत्यु तो इस प्रार्थना पत्र के पेश करने के 08 वर्ष पूर्व ही हो चुके हैं। उक्त प्रार्थना पत्र के विचाराधीन होते हुए ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय अदालत के यहां एक अन्य प्रार्थना पत्र बाबत सीमाकंन पत्थरगढी एवं सीमा निश्चयकरण का दिनांक 7/7/2021 को प्रस्तुत कर दिया। जिसमें अपीलान्ट को पक्षकार नही बनाया गया एवं मान्य राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर को ही पक्षकार बनाया गया। जिसकी जानकारी अपीलान्ट्स को कभी नही हुई। दिनांक 17/11/2021 को पत्रावली कैम्प बडोदिया में पेश हुई जहां जवाब सरकार पेश किया गया एवं बहस प्रार्थना पत्र हेतु दिनांक 8/12/2021 निर्धारित कर दी गई। दिनांक 8/12/2021 को बहस प्रार्थना पत्र अपीलान्ट की अनुपस्थिति में सुनकर उसी रोज रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अधिनस्थ अदालत ने तहसीलदार विराटनगर को खसरा नम्बर 231 व 232 की भूमि की पत्थरगढी कर स्थायी सीमाकंन चिन्ह स्थापित करने के आदेश पारित कर दिये गये। क प्रार्थीया / रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अदालत मातहत में प्रस्तुत प्रार्थनां पत्र को दिनांक 6/1/2022 को नोटप्रेस के आधार पर खारिज करवा लिया एवं तहसीलदार विराटनगर ने प्रार्थीया/ रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के प्रकरण संख्या 7/2021 के निर्णय दिनांक 8/12/2021 के आधार पर अपीलान्ट्स की गैरमौजूदगी में दिनांक 17/6/2022 को उक्त खसरा नम्बर 231 व 232 की भूमि पर अपनी मनमर्जी से पटवारी हल्का बडोदिया एवं गिरदावर पालडी द्वारा पत्थरगढी करवा ली। जिसकी जानकारी अपीलान्ट को पडौसी काश्तकारों के द्वारा सूचना देने पर हुई तब अपीलांन्ट जयपुर से बडोदिया गया एवं पटवारी हल्का से बात की तो उसने कहा कि तहसीलदार जी के आदेश से पत्थरगढी की गई हैं। अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि हाल खसरा नम्बर 233 एवं 234 में स्थित हैं जो साबिक खसरा नम्बर 63 से सेटलमेन्ट विभाग द्वारा बनाये गये है उसमें अपीलान्ट का रकबा 0.13 हैक्टेयर कम कर उसी के अनुसार नक्शा ट्रेस बना दिया गया। जिसके बाबत अपीलान्ट ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर के यहां अलग से दावा दुरूस्ती इन्द्राज, नक्शा ट्रेस घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा का उनवानी प्रभूदयाल वगैरह बनाम अर्जुन वगैरह प्रस्तुत कर रखा है जो विचाराधीन हैं। तहसीलदार विराटनगर ने उपखण्ड अधिकारी विराटनगर के निर्णय दिनांक 8/12/2021 उनवानी प्रेम देवी बनाम सरकार की पालना में दिनांक 17/6/2022 को पटवारी हल्का बडोदिया एवं गिरदावर हल्का पालडी के द्वारा आराजी मुतनाजा की पत्थरगढी अपीलान्ट्स की अनुस्थिति में करवाकर रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी विराटनगर को दिनांक 21/6/2022 को प्रेषित कर दी। पत्थरगढी की जानकारी अपीलान्ट्स को पडौसी काश्तकार के जरिये सूचना देने पर

संभागीय आयुक्त
जयपुर

हुई तब अपीलान्ट्स जयपुर से ग्राम बडोदिया आकर पटवरी से पूछताछ की तो अपीलान्ट को उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 8/12/2021 की जानकारी हुई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस कानूनी बिन्दू पर कतई गौर नही किया कि प्रार्थना पत्र बाबत् पत्थरगढी का प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में प्रस्तुत किया गया वह न्यायालय में विचाराधीन है जो प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 9/6/2019 को ही पेश कर दिया गया था. तथा द्वितीय प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा दिनांक 7/7/2021 को पेश किया गया हैं। ऐसी स्थिति में एक ही आराजी के बाबत दो प्रार्थना पत्र किस प्रकार सुने जा सकते है इसके उपरान्त भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह विधि विधान के विरूद्ध होने से काबिल निरस्त किये जाने योग्य हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दू पर कतई गौर नही किया कि अपीलान्ट्स जो कि पत्थरगढी की आराजी के पडौसी काश्तकार है को इस संबंध में कोई सूचना नही दी गई। ना ही तहसीलदार द्वारा पेश रिपोर्ट में कही यह अंकित किया गया कि पडौसी काश्तकारों ने हस्ताक्षर करने से मना किया गया। ऐसी स्थिति में स्पेष्ट है कि पत्थरगढी एकपक्षीय व मनमानी रूप से रेस्पोडेन्ट को बेजा लाभ पहुचाने की गरज से की गई। अधिनस्थ न्यायालय के यहां अपीलाधीन आराजी के बाबत् अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत दुरूस्ती इन्द्राज व नक्शा ट्रेस का प्रस्तुत कर रखा था। जिसमें रेस्पोडेन्ट्स भी पक्षकार है। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस बाबत भी कोई गौर नही कर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह विधि विरूद्ध होने से काबिल निरस्त किये जाने योग्य हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार विराटनगर के सीमाज्ञान दिनांक 10/5/2015 को आधार मानकर पत्थरगढी के आदेश एकतरफा सुनवाई करके पारित किये है जबकि अपीलान्ट को तहसीलदार विराटनगर द्वारा दिनांक 10/5/2015 को किये गये सीमाज्ञान बाबत भी सूचित ही नही किया गया ना ही अपनी रिपोर्ट में यह अंकित किया गया कि पडौसी काश्तकारों ने रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से मना किया है। अगर कोई कार्यवाही अविधिक रूप से बिना अपीलान्ट की जानकारी से करवाई गई है तो वह गलत है अविधिक है एवं काबिल निरस्त किये जाने के है। अपीलार्थीगण/रेस्पोडेन्ट अधिनस्थ न्यायालय में प्रथम प्रार्थना पत्र अपीलाधीन भूमि के बाबत दिनांक 19/6/2019 को प्रस्तुत किया था जिसमें अपीलान्ट पक्षकार थे एवं प्रार्थना पत्र विचारधीन था। लेकिन इस प्रार्थना पत्र के विचाराधीन होने के उपरान्त इस तथ्य को छिपाते हुये द्वितीय प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी का अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना केवल राजस्थान सरकार को पक्षकार बनाकर दिनांक 7/7/2021 को प्रस्तुत कर उसमें एकतरफा आदेश दिनांक 8/12/2021 को पारित करवा लिया। रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 6/1/2022 को नोटप्रेस में खारिज करवा लिया । जबकि अपीलाधीन आदेश अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 8/12/2021 को पारित किया है। इस कारण अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। जिसके लिये अलग से धारा 96 जाप्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने विधिक प्रावधानो के तहत अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त आवेदन प्रस्तुत नही किया हैं। बल्कि साजिश तौर पर पडौसीयों को हैरान परेशान करने के लिये उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही पोषणीय नही होने के कारण काबिल खारिज योग्य हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने इस अहम तथ्य को नजरअन्दाज करते हुये जो मनमाना आदेश पारित किया है वह गलत है एवं काबिल निरस्तनीय हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.12.2021 निरस्त किया जावे।

6. वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1 से 4 ने अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 19/6/2019 को सीमाकंन पत्थरगढी एवं सीमा निश्चितकरण का प्रस्तुत किया। जिसमें अन्य के अलावा अपीलान्ट संख्या 1 व 2 तथा 3 के पिता ओमप्रकाश को भी पक्षकार बनाया गया। प्रार्थना पत्र में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने ग्राम बडोदिया, पटवार हल्का बडोदिया तहसील विराटनगर जिला जयपुर में स्थित आराजी हाल खसरा नम्बर 231 रकबा 0.98 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 232 रकबा 0.15 हैक्टेयर कुल रकबा 2 कुल रकबा 1.13 हैक्टेयर की पत्थरगढी के बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण का

संभागीय आयुक्त
जयपुर

प्रार्थना स्वीकार कर तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये गये कि प्रार्थीया की वर्णित भूमि वाके ग्राम बडौदिया के खाता संख्या 90 के हाल खसरा नम्बर 231/0.98, 232/0.15 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.13 हैक्टेयर की पत्थरगढी कर, स्थायी सीमांकन चिन्ह स्थापित करावें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें के आदेश पारित किये गये हैं। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट नं. 5 ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जिला जयपुर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीमाज्ञान की रिपोर्ट अनुसार ही खातेदारी भूमि की ही पत्थरगढी करवाने हेतु आदेश दिया गया है जिसमें अन्य किसी सहखातेदरान् को कोई आपत्ति नहीं है। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रथम प्रार्थना पत्र अपीलाधीन भूमि के बाबत दिनांक 19.06.2019 को प्रस्तुत किया था जिसमें अपीलान्ट पक्षकार थे एवं एक प्रार्थना पत्र विचाराधीन था। लेकिन इस प्रार्थना पत्र के विचाराधीन होने के उपरान्त इस तथ्य को छिपाते हुये द्वितीय प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी का अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना केवल राजस्थान सरकार को पक्षकार बनाकर दिनांक 7.7.2021 को प्रस्तुत कर उसमे एकतरफा आदेश दिनांक 8.12.2021 को प्रस्तुत कर उसमे एकतरफा आदेश दिनांक 8.1.2.2021 को पारित करवा लिया। रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 6.1.2022 को नोटप्रेस में खारिज करवा लिया। जबकि अपीलाधीन आदेश अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 08.12.2021 को पारित किया है। इस कारण अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। रेस्पोडेन्ट की आराजी से लगती हुई अपीलान्ट की आराजी खसरा नं. 233 एवं 234 में स्थित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पत्थरगढी करवाने बाबत 2 प्रार्थना पत्र 7/2021 उनवानी प्रेमदेवी बनाम राजस्थान सरकार एवं 47/2019 प्रेमदेवी बनाम ओमप्रकाश वगैरह पेश किये गये हैं। द्वितीय प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी का अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना केवल राजस्थान सरकार को पक्षकार बनाकर दिनांक 7.7.2021 को प्रस्तुत कर उसमे एकतरफा आदेश दिनांक 8.12.2021 पारित करवा लिया । एक प्रार्थना पत्र को दिनांक 6.1.2022 को नोटप्रेस में खारिज करवा लिया। अधीनस्थ पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 128 में पडौसी खातेदार अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसलिए अपीलांट द्वारा तहत न्यायालय में कोई जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। तहत न्यायालय द्वारा एकतरफा में रेस्पोडेन्ट के कथन को सही मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारीत किया गया है। ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है तथा अपीलान्ट्स हितबद्ध एवं प्रभावित व्यक्ति है, जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक है तथा प्रकरण उभय पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का मोहताज है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अतः—अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय उपखण्ड अधिकारी, विराटनगर जिला जयपुर दिनांक 08.12.2021 एवं निर्णय के आधार पर तहसीलदार विराटनगर द्वारा की गई पत्थरगढी दिनांक 17.06.2022 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उभय पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु उन्हें प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

(डॉ. आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 19.02.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर